



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2069]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 5, 2018/ज्येष्ठ 15, 1940

No. 2069]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 5, 2018/JYAISTHA 15, 1940

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 2018

का.आ.2287(अ).—केन्द्रीय सरकार, दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) की धारा 5 और धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और का.आ.सं. 950(अ), तारीख 12 अप्रैल, 2013, का.आ.सं.1225(अ), तारीख 16 मई, 2013 और का.आ.सं. 1867(अ), तारीख 27 जून, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अधिसूचनाओं को उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, निम्नलिखित को राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए दरगाह समिति, अजमेर के सदस्यों के रूप में नियुक्त करती है, अर्थात्:-

- (i) श्री सैय्यद बाबर अशरफ, 238/30, कटरा अबुतुर्ब खान नक्खास, लखनऊ ;
- (ii) श्री सपात खान, ग्राम-गाडपुर (भिवाड़ी) तहसील-तिजारा, जिला-अलवर, राजस्थान;
- (iii) श्री अमीन पठान, निकट राजकीय विद्यालय, झालावार रोड, अनन्तपुरा, कोटा, राजस्थान-324005 ;
- (iv) श्री सैय्यद शाहिद हुसैन रिजवी, जी-16, निजामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली-110013 ;
- (v) श्री मोहम्मद फारूख आजम, 1305 और 1306, अब्रोल वास्तु पार्क, 'ए' विंग, निकट रेयान इंटरनेशनल स्कूल, ऐवरशाइन नगर, न्यू लिंक रोड, मलाड (पश्चिम) मुम्बई-400064 ;
- (vi) श्री मिसबाहुल इस्लाम, शाह एल्पाइन बिल्डिंग, फ्लैट नं. 1205, वी-ब्लॉक, सेक्टर-6, प्लॉट नं. 6, खारघर, नवी मुम्बई ;
- (vii) श्री मुनव्वर खां, 967 श्रीजी की मोरी, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, राजस्थान-30200 ;
- (viii) श्री कासिम मलिक, 1519, गली कोटाना, सूई-वाला दरियागंज, नई दिल्ली-110002 ; और

(ix) श्री अतीफ रशीद, 194/27, गफफार मंजिल, जामियानगर, ओखला, नई दिल्ली-110025।

[फा.सं. 11/3/2012-वक्फ(भाग-2)]

जे. आलम, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 2018

S.O. 2287 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 and sub-section (1) of section 6 of the Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Minority Affairs, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide numbers S.O. 950(E), dated the 12th April, 2013, S.O. 1225(E), dated the 16th May, 2013 and S.O. 1867 (E), dated the 27th June, 2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints the following as members to the Durgah Committee, Ajmer, for a period of five years with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :-

- (i) Shri Syed Babar Ashraf, 238/30, Katra Abuturab Khan Nakkhas Lucknow;
- (ii) Shri Sapaat Khan, Village- Gadpur (Bhiwadi), Tehsil- Tijara, District- Alwar, Rajasthan;
- (iii) Shri Amin Pathan, Near Government School, Jhalawar Road, Anantpura, Kota, Rajasthan – 324005;
- (iv) Shri Syed Shahid Husain Rizvi, G-16, Nizamuddin West, New Delhi-110013;
- (v) Shri Mohd. Faruque Azam, 1305 &1306, Abrol Vastu Park, 'A' Wing, Near Ryan International School, Evershine Nagar, New Link Road, Malad (W), Mumbai-400064;
- (vi) Shri Misbahul Islam, Shah Alpine Building, Flat No. 1205, B- Block, Sector-6, Plot No. 6, Kharghar, Navi Mumbai;
- (vii) Shri Munawar Khan, 967, Shriji Ki Mori, Tripoliya Bazar, Jaipur, Rajasthan-30200;
- (viii) Shri Qasim Malik, 1519, Gali Kotana, Sui-Walan, Darya Ganj, New Delhi-110002; and
- (ix) Shri Atif Rasheed, 194/27, Ghaffar Manzil, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi- 110025.

[F.No.11/3/2012-Waqf (Pt.II)]

J. ALAM, Jt. Secy.